ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-11*December- 2021
Innovation The Research Concept

राजनीति में हाशिए पर खडी: भारतीय नारी
Marginalized in Politics: Indian Woman

Paper Submission: 12/12/2021, Date of Acceptance: 23/12/2021, Date of Publication: 24/12/2021

नीरजा गुप्ता
प्रवक्ता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री के०के० जैन (पी०जी०) कालेज,खतौली,
मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। नारी सृष्टि निर्माता की अद्वितीय कृति है। नारी घर समाज और राष्ट्र का आदर्श है। फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक नारी उपेक्षित ही रही है। आखिर कौन सी रूढ़ियों, मान्यताएं आडम्बर और बेडिया स्त्रियों को जकड़े हुए हैं? भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है परन्तु संविधान लागू होने के 80 वर्ष बाद भी आम महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान नहीं हुई है। सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए अभी काफी प्रयास करने पड़ेगे क्योंकि सामाजिक व्यवस्था की जड़े इतनी गहरी है कि केवल कानून से परिवर्तन सम्भव नहीं है। भारत की आम महिलाएं सामाजिक दृष्टि से अब भी पिछड़ी हुई है।

The status of any civilized society can be ascertained by looking at the condition of women in that society. Woman is the unique creation of the creator of the universe. Woman home is the ideal of society and nation. Yet, from the ancient society to the modern society called today, women have remained neglected. After all, what stereotypes, beliefs, pomp and bravado are holding women? Women have equal rights as men under the Indian Constitution But even after 80 years of the constitution coming into force, the status of common women has not become equal to that of men. A lot of efforts will still have to be made to get social acceptance because the roots of the social system are so deep that change is not possible only by law. The common women of India are still socially backward.

मुख्यशब्द: राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक समानता, मताधिकार, भेदभाव, सार्वलौकिक मताधिकार, आरक्षण।

Keywords: Political participation, political equality, suffrage, discrimination, universal suffrage, reservation.

प्रस्तावना

प्रजातान्त्रिक समाज के बुनियादी आधार स्वतन्त्रता और समानता है परन्तु समाज में महिलाओं को यह अधिकार सैद्धान्तिक रूप से तो प्राप्त है परन्तु व्यावहारिक धरातल पर मिथ्या बन कर रह गए है। हमारी कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं है लेकिन फिर भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बराबर की नहीं है संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की नियुक्ति की जाएगी। पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन सन् 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ जिसमें 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोट राष्ट्रपति को दी। इस आयोग ने सभी महिलाओं को पिछडेपन की स्थिति के कारण उन्हें भी पिछड़े वर्ग में रखने की सिफारिश की।

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में महिलाओं की राजनीतिक समानता की प्राप्ति में प्रेरक का कार्य करने में दो शक्तियों उल्लेखनीय मानी जा सकती है -

1- राष्ट्रीय आन्दोलन,

2- महात्मा गांधी का नेतृत्व

भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित मुद्दा पहले-पहल स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान चर्चित हुआ जिसमें स्वयं महिलाओं की सक्रिय सहभागिता थी सर्वप्रथम 1917 में श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं ने राजनीति में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया और उस समय उस मांग का अर्थ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से था। 1921 के सुधार अधिनियम ने महिलाओं का यह अधिकार प्रदान किया।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी स्त्रियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया इसके लिए गांधी जी का योगदान अविस्मरणीय रहा। गांधी जी का विश्वास था कि समाज के पुनर्निर्माण में स्त्रियों को एक सुनिश्चित भूमिका का निर्वाह करना होगा और इस हेतु और सामाजिक न्याय के लिए उनकी समानता के अधिकार को मान्यता दिया जाना एक अनिवार्य कदम है। महिलाओं की समानता व राजनीतिक अधिकारों सम्बन्धी उनकी आवश्यकता के महत्व को समझते हुए स्वतन्त्र भारत के संविधान निर्माताओं ने इस हेतु स्पष्ट प्रयास किया स्त्री पुरुष समता को सांविधानिक और विधिक रूप से घोषित किया तथा संविधान से लैंगिक विभेद का निषेध उपबन्धित किया।

ठक्कर (1988) ने महिलाओं की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रस्थिति के सन्दर्भ में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अवसरों का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया कि वस्तुतः उनकी परम्परागत स्थिति यथावत है, वे परम्पराओं से दबाई हुई है तथा लाभकारी रोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षणों से भी वंचित है। परिणामतः उन्हें शोषण का शिकार बनना पड़ता है। जबकि वर्तमान समय में

प्रत्येक महिला के लिए यह आवश्यक है कि वह अनुभव करे कि वह भी पुरुषों की तरह एक मनुष्य है तथा उसे विकास का अधिकार प्राप्त है और प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है।

राजनीति और राजनीति से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए स्त्रियों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार प्रतिनिधि संस्थाओं और शासन प्रशासन के क्षेत्र में निर्णय लेने वाली सभी संरचनाओं में न केवल सिद्धान्त वरन व्यवहार में भी महिलाओं को पुरूष के बराबर की भागीदारी भूमिका और शक्ति प्राप्त होनी चाहिए और यही स्थिति राजव्यवस्था और समस्त व्यवस्था के हित में है।

राजनीतिक प्रक्रिया का प्रथम चरण मताधिकार है तथा महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष न केवल लम्बा वस्न कठिन और संघर्षपूर्ण भी है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रजातन्त्रों में भी महिलाओं को मताधिकार के लिए लगभग आधी सदी तक संघर्ष करना पड़ा। अमरीकी शोध संगठन 'World Priorities ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर बताया कि महिलाओं को मताधिकार पुरुषों की तुलना में औसतन 47 वर्ष बाद मिला ।

सर्वप्रथम न्यूजीलैण्ड ने 1893 ई० में सभी वयस्क महिलाओं को पुरूषों के समान ही मताधिकार देकर इस मानवीय कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फ्रांस, इटली, बेलियम पुर्तगाल व स्पेन में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । स्विटजरलैण्ड में 1970 ई0 तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया।

न्यूजीलैण्ड ने महिलाओं को मताधिकार 1893 ई0 में प्रदान किया लेकिन उन्हें प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार 1919 ई0 में "Women's Partimentary Rights Act द्वारा प्रदान किया। ग्रेट ब्रिटेन, जिसे लोकतान्त्रिक व्यवस्था का गढ़ समझा जाता है, में महिला मताधिकार सहित सार्वलौकिक मताधिकार की स्थिति 1928 ई0 में ही प्राप्त की जा सकी तथा लेकसदन में सन् 2001 में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संस्था मात्र 179% ही थी। इसी प्रकार अमेरिका में 26 अगस्त 1920 ई० को 19 वे संवैधानिक संशोधन के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त हुआ तथा सन् 2003 में कांग्रेस के प्रथम सदन में 143 प्रतिशत तथा सीनेट में 13 प्रतिशत महिला सदस्य थी ।

अमेरिका के सम्बन्ध में कैट और शूलर के शब्दों में 52 वर्ष के अविराम अभियान का परिणाम था यह "[12] इस लम्बे अविराम अभियान का एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि अन्य नारीवादी मुद्दे भी 12 उठे, बहस का विषय बने और नारी मुक्ति की दिशा में प्रगति हुई ।

स्विटजरलैण्ड जिसे लोकतान्त्रिक व्यवस्था का सर्वाधिक सुदृढ दुर्ग समझा जाता है जहाँ पर 1971 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ इसी कारण ज्युरिच इसे पुरुष राज्य का अन्तिम सुदृढ गढ़ कहते हैं। भारत में विभिन्न लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या में क्रमशः वृद्धि हुई है प्रथम एवं द्वितीय लोकसभा चुनाव के मतदाताओं का लैंगिक विभाजन उपलब्ध नहीं लेकिन तृतीय के लोकसभा चुनाव में (1962) में महिला मतदाताओं का प्रतिशत 466% जबकि पुरुषों का 62% था वहीं 1967 में 555 प्रतिशत हो गया जबकि पुरुषों 66.7 प्रतिशत सन् 2004 के चुनाव में यह प्रतिशत 53:3 रहा। पुरुषों का 61.7 प्रतिशत का लेकिन महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हमेशा पुरुषों से कम रही सभी चुनावों में महिला व पुरुष के मध्य अन्तर 8 से 16 प्रतिशत रहा।

इसी प्रकार उम्मीदवारी के मामले में तो स्त्रियों व पुरुषों के मध्य यह अन्तर स्पष्टतः बहुत अधिक है। निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत भी कुल के अनुपात में बहुत कम है। महिला उम्मीदवारों की उच्चतम संख्या 1996 में 599 थी जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 13353 थी तथा 1996 में निर्वाचित महिला उम्मीदवारों की संख्या 40 जबकि पुरुष निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या 503 थी सन2004 में लोकसभा में कुल स्थान 543 जिसमे केवल 45 निर्वाचित महिलाएं तथा पंद्रहवी लोकसभा के चुनाव में 59 महिलाएं सासद चुनी गई तथा उत्तर प्रदेश से पहली बार 12 महिला सांसदों ने चुनाव जीता।

भारत में आज बराबरी का अधिकार मिलने के बावजूद कुछ अपवाद छोड़कर अधिकांश औरते वोट का इस्तेमाल तक भी पति, पुत्र, पिता व भाई की मर्जी से करती है। स्त्रियों को सासद में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के बिल को किसी न किसी बहाने टालने के लिए पुरुष सांसद एकमत है।

संसद तथा विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानूनी प्रावधान करने का विचार सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने दिया था। तब से आज तक कोई न कोई दल किसी न किसी बहाने अडंगा लगाता रहा है। मौजूदा सरकार यदि इस विधेयक को पास कराने में सफल हो जाती है तो यह ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। भारतीय राजनीति पर इसका दूरगामी असर पड़ेगा। संसर का चेहरा तो बदलेगा ही सत्ता का चरित्र भी बदल जाएगा ।

भारत गांवो का देश है सन् 1951 में देश की लगभग 83 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती थी. आज भी तीन चौथाई लोग गांवों में रहते हैं। देश के विकास के लिए गांवों का विकास आवश्यक है। स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं के सम्बन्ध में किया जाने वाला सबसे सार्थक प्रयास महिलाओं के सबसे नीचे स्तर की प्रशासनिक इकाईयों ग्राम पंचायत व नगरीय स्थानीय निकायों के 33 प्रतिशत स्थानों को आरक्षित करना माना जा सकता है। क्रान्तिकारी कहा जा सकने वाला 73 वां एवं 74 वां संविधान संशोधन एक ऐसा सकारात्मक कदम है जो कि महिलाओं के समान राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति संरचना में उनकी भागीदारी में भी निश्चित रूप से वृद्धि कर रहा है।

इस संशोधन से पहले ही महाराष्ट्र में 1961 में पंचायत अधिनियम बनाकर प्रावधान किया गया था कि यदि एक भी महिला निर्वाचित नहीं हुई तो तीनों स्तरों पर एक या दो महिलाओं को मनोनीत किया जाए । आन्ध्रप्रदेश में पंचायत की हर समिति में दो महिलाओं के सहयोजन की व्यवस्था की गई । हरियाणा में ग्राम पंचायत में एक और उसके ऊपर दोनों स्तरों पर दो-दो महिलाओं के सहयोजन में में की व्यवस्था की गई उडीसा ने उपर्युक्त संशोधन से पहले ही पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण कर दिया था। अशोक मेहता समिति ने 1977 में और राव समिति ने 1985 में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की जिसे कर्नाटक ने लागू किया था। स्वीडन पहला देश था जहाँ 1972 में महिलाओं के लिए पार्टियों में कोटा आरक्षित किया गया डेनमार्क, फिनलैंड व नावे ऐसे देश है जहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया गया ।

पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण सन् 1972 में किए गए दो संविधान संशोधनों के जरिए दिया गया था आज इस व्यवस्था को लगभग 18 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन समीक्षा करने पर पता चलता है कि स्थिति में नाममात्र का परिवर्तन आया है। आज भी चुनाव जीत कर आई महिलाएं संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों का आजादी से प्रयोग कर पाने की स्थिति में नहीं है, वे सत्ता में तो आ रही है लेकिन स्वतन्त्रता पूर्वक फैसले नहीं ले पा रही है। आज भी वे पुरुषों के बल पर ही कुर्सी पर काबिज होती है और उन्हीं के दिशा निर्देशों पर चलने को बाध्य होती है। इस कठपुतलीपन का एक कारण जहाँ उनकी अशिक्षा और राजनीतिक निष्क्रियता है वहीं दूसरा कारण आज भी उन पर से पुरुषों के बगान ढीले नहीं पड़े है।

लेकिन सवाल यह है कि कितने ही पुरुष है जो अशिक्षित और निरक्षर है लेकिन फिर भी वे पंचायत से लेकर संसद तक अपने अधिकारों का अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। जब अशिक्षित व निरक्षर होने पर भी पुरुष राजनीतिक व्यवस्था का संचालन में पूरी तरह सफल हो जाते हैं तो महिलाएं सफल क्यों नहीं हो पा रही है ? इसके तो दो ही कारण दिखायी देते है, पहला तो यह कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को स्वतन्त्रता पूर्वक काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है और दूसरा कारण यह है कि हजारों वर्षों से घर की चारदीवारी में बनधी रहने वाली महिलाओं को सत्ता का सुख भोगने की आदत नहीं पड़ी वास्तव में पुरुष महिलाओं के साथ सत्ता का सुख बांटना ही नहीं चाहते, वह उसे अपने अधीन ही रखना चाहते है। पुरुषों की यह नकारात्मक मानसिकता ही है। आज भी पुरुष प्रधान समाज महिला को सिर्फ भोग्यता बनाए रखने की अपनी सदियों पुरानी मानसिकता से उबर नहीं पाया है। इसका उदाहरण यह है कि हमारे देश में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की ही है फिर उन्होंने पंचायतों में 48 या 50 प्रतिशत आरक्षण की बात स्वीकार क्यों नहीं की। आरक्षण का सिद्धान्त तो यही है कि प्रत्येक वर्ग को उसकी संख्या के हिसाब से सभी जगह भागीदारी मिलनी चाहिए ।

एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन ने राज्य सरकार की एक एजेन्सी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनावों में आरक्षण का लाभ लेकर 80 प्रतिशत से भी अधिक ऐसी महिलाए जीतकर आयी जिन्हें स्वर-स्टैप के अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। इसका कारण है कि पुरुष वर्ग उनको जितवाना तो चाहते हैं लेकिन उनकी सत्ता के भागीदारी के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए।

इतना ही नहीं महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह की स्पष्ट झलक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिवेदनों में भी दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदन, 1955 के स्पष्टतया उल्लिखित है कि राजनीति स्वतभावतः केवल पुरुषों के अनुरूप है, जिसमें महिलाएं केवल आपवादिक परिस्थिति में और निर्धारित कठोर सीमा के भीतर ही शामिल की जानी चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्य

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। नारी सृष्टि निर्माता की अद्वितीय कृति है। नारी घर समाज और राष्ट्र का आदर्श है। फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक नारी उपेक्षित ही रही है। आखिर कौन सी रूढ़ियों, मान्यताएं आडम्बर और बेडिया स्त्रियों को जकड़े हुए हैं? भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है परन्तु संविधान लागू होने के 80 वर्ष बाद भी आम महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान नहीं हुई है। सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए अभी काफी प्रयास करने पड़ेगे क्योंकि सामाजिक व्यवस्था की जड़े इतनी गहरी है कि केवल कानून से परिवर्तन सम्भव नहीं है। भारत की आम महिलाएं सामाजिक दृष्टि से अब भी पिछड़ी हुई है।

सहभागिता वृद्धि हेतु सम्भावित प्रयास

राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त व सक्षम बनाने, राजनीतिक जीवन में उनके प्रवेश को प्रोत्साहित करने तथा राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि के सन्दर्भ में निम्न प्रयास महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

1. राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने समस्त नागरिकों, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो, की राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतान्त्रिक उपस्थिति दर्ज कराये । राजनीति में महिलाओं की आवाज सुने जाने उनके विचारों के सम्मान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के असन्तुलन की समाप्ति व महिला नेतृत्व के पोषण का एकमात्र आधार उनकी अर्थपूर्ण सहभागिता ही हो सकती है । अतः सहभागिता करने व सहभागिता को प्रोत्साहित करना एक प्रमुख आवश्यकता है।
2. लैंगिक न्याय व समानता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए राजनीतिक दलों को भी, दलीय संस्तरण के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए ।

3. आज एक ऐसे मैकेनिज्म के विकास की आवश्यकता है जिससे निर्णय प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी हो और नीतिनिर्माण व क्रियान्वयन दोनों ही में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो ।
4. निर्वाचन प्रणाली के वर्तमान स्वरूप के कारण भी लोकतान्त्रिक संस्थाओं में महिलाओं का कम संख्यात्मक प्रतिनिधित्व देखा जाता है। अतः निर्वाचन प्रणाली के वर्तमान स्वरुप पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।
5. सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित नीतियों के निर्माण में उनके सार्थक योगदान हेतु स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में अधिकाधिक नामाकन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।
6. जीवन के सभी क्षेत्रों में संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मीडिया नारी सौन्दर्य को सामने लाने के साथ-साथ उसकी तेजस्विता, ऊर्जा, शक्ति और रचनात्मकता को भी पूरी कलात्मकता के साथ सामने लाए।
7. गैर सरकारी संगठनों के द्वारा भी राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी पर बल दिया
8. जाना चाहिए ।

निष्कर्ष

वास्तविकता तो यह है कि जब तक निर्णय प्रक्रिया में सम्पूर्ण मानव आबादी के इस आधे भाग की आवाज नहीं सुनी जायेगी, हमारी निर्वाचित संस्थाओं व कार्यपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्न चिह्न लगा रहेगा ।
श्री टी०एन० शेषन ने भी कहा था कि हमें राजनीति में और अधिक महिलाओं की आवश्यकता है हम सभी जानते है कि महिलाएं अधिक व्यवहारिक होती है वे राजनीति को मर्यादित बनायेगी राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि करने के लिए पुरुषों और विशेषकर राजनीतिक नेतृत्व को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की बहुत आवश्यकता है। हमारे परिवर्तित सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण महिलाओं की स्थिति में सुधार के वाहक हो सकते हैं तथा उन्हें समता, गरिमा एवं स्वतन्त्रता दिला सकते हैं जिनकी वे जन्मजात हकदार है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *भारत का संविधान अनुच्छेद 340*
2. *वी०के० राबर्मन काका कालेलकर स्पट' साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 7 अक्टूबर 1900, पृष्ट 17*
3. *कुरुक्षेत्र मार्च 2007, पृष्ठ 25*
4. *वहीं, पृष्ठ 27*
5. *अनुच्छेद 14,15,16*
6. *सिंह, आई०पी०इण्डियन वीमेन द पावर ट्रैण्ड गैलेक्सी पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली 1991*
7. *घूमन राइट्स समाचार भाग 13 अंक 11. नवम्बर, 2006*
8. *वर्मा सुधीर, वूमेन्स स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल स्पेस, पृ0 189*
9. *जैन, पुखराज, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा*
10. *वही*
11. *वही*
12. *साधना आर्य, निवेदिता मेनन व जिनी लोकनीता (सम्पादित) नारी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे पृष्ठ 70/*
13. *निर्वाचित आयोग-भारत सरकार नई दिल्ली कुरुक्षेत्र मार्च, 2007, पृष्ठ 7*
14. *कुरुक्षेत्र मार्च 2007, पृष्ठ 28-29*
15. *महिला विकास एक मूल्यांकन, पृष्ठ 42*
16. *दैनिक जागरण 26 दिसम्बर 2009*
17. *गुप्ता, रमणिका, कलम और कुदाल के बहाने प्रकाशन शिल्पायन, पृष्ठ 22*
18. *सिंह एवं मिश्रा, लैजिस्लेटिव फेमवर्क ऑफ पंचायती राज इन इण्डिया, इंटेलेक्चुअल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 1993, पृष्ठ 6*
19. *वर्मा प्रमिला स्थानीय स्वशासन किताब महल, मेरठ 1993, पृष्ठ 42*
20. *"तरक्की में सीधी भागीदारी म0प्र0 में पंचायती राज, समाज कल्याण विभगा म०प्र० भोपाल, 1992, पृष्ट 10*
21. *दैनिक जागरण, समाचार पत्र वाराणसी 14 फरवरी, 1977, पृ0 8*
22. *यू०एन० रिपोट, दी पोलिटिकल रोल ऑफ वेमुन, 1955, पृष्ठ 124*
23. *इण्डिया टुडे समाचार पत्रिका 15 अक्टूबर, 1996, पृष्ठ 28*